

कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)

स्वीकृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजना/सामाजिक
सुरक्षा पेंशन/सुखद सहारा योजना हेतु लेगेसी डाटा फार्म

आवेदन पत्र क्रमांक

--	--	--	--	--

आवेदक का
फोटो

1. योजना का नाम (चिन्ह ✓ लगायें) : इंदिरा वृद्धावस्था पै. इंदिरा विधवा पै. इंदिरा निःशक्त पै.
: सामाजिक सुरक्षा पै. सुखद सहारा पै.
2. स्वीकृति वर्ष :
3. जिला का नाम :
4. क्षेत्र : ग्रामीण शहरी
5. विख्यान/ननि/नपा/नपं/जप :
6. ग्राम पंचायत/वार्ड :
7. ग्राम :
8. मोहल्ला :
9. पिन कोड :
10. आवेदक का नाम
प्रथम नाम :
- मध्य नाम :
- उपजाति/सरनेम :
11. पिता/पति का नाम :
12. गरीबी रेखा से नीचे का विवरण
वर्ष :
- विकासखण्ड/नगरीय निकाय :
- परिवार पहचान सर्वे क्रमांक :
- सदस्य पहचान क्रमांक :
13. निराश्रित : हां नहीं
(सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा सुखद सहारा योजना अन्तर्गत स्वीकृत हितग्राहियों के लिए)
14. लिंग : पुरुष महिला

15. जन्मतिथि	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
16. उम्र	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> वर्ष / माह / दिन
17. वार्षिक आय	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
18. वर्ग	:	अजा <input type="checkbox"/> अजजा <input type="checkbox"/> अपिव <input type="checkbox"/> सामान्य <input type="checkbox"/>
अल्पसंख्यक	:	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
19. विधवा / परित्यक्त (✓ चिन्ह लगाये)	:	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
20. निःशक्ति	:	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
21. निःशक्तता का प्रकार-I	:	<input type="text"/>
22. निःशक्तता का प्रतिशत	:	<input type="text"/> <input type="text"/>
23. निःशक्तता का प्रकार-II (यदि एक से अधिक प्रकार की निःशक्त हैं)	:	<input type="text"/>
24. निःशक्तता का प्रतिशत	:	<input type="text"/> <input type="text"/>
25. मतदाता परिचय पत्र (इपिक) नम्बर	:	<input type="text"/>
26. आधार कार्ड नम्बर	:	<input type="text"/>
27. राशन कार्ड नम्बर	:	<input type="text"/>
28 भुगतान का तरीका	:	बैंक <input type="checkbox"/> पोस्ट ऑफिस <input type="checkbox"/> नगद <input type="checkbox"/>
बैंक / पोस्ट ऑफिस का नाम	:	<input type="text"/>
शाखा का नाम	:	<input type="text"/>
खाता क्रमांक	:	<input type="text"/>
आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड	:	<input type="text"/>

(आवेदक का हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी)

सत्यापनकर्ता अधिकारी का टीप : उपरोक्त जानकारी सही है।

(हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम : सरपंच / सचिव / नगरीय निकाय का
अधिकारी / कर्मचारी

प्रारूप-1
[भाग-एक]

एकीकृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/निःशक्त पेंशन योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन/सुखद सहारा योजना हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का
फोटो

आवेदन पत्र क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--

आवेदन दिनांक

--	--	--	--	--	--

- *1. योजना का नाम (चिन्ह ✓ लगायें) : इंदिरा वृद्धावस्था पें. इंदिरा विधवा पें. इंदिरा निःशक्त पें.
 : सामाजिक सुरक्षा पें. सुखद सहारा पें.
- *2. जिला का नाम :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- *3. क्षेत्र : ग्रामीण शहरी
- *4. विखं./ननि/नपा/नपं./ज.पं. :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- *5. ग्राम पंचायत/वार्ड :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- *6. ग्राम :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7. मोहल्ला :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8. आवेदक का नाम
 *प्रथम नाम :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 मध्य नाम :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 उपजाति/सरनेम :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- *9. पिता/पति का नाम :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10. उत्तराधिकारी :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11. आवेदक का पता
 मकान नं./ग्राम :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 गली/पोस्ट ऑफिस :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 जिला :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 पिन कोड :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12. गरीबी रेखा से नीचे का विवरण

वर्ष	:	[15 boxes]
विकासखण्ड/नगरीय निकाय	:	[15 boxes]
परिवार पहचान सर्वे क्रमांक	:	[15 boxes]
सदस्य पहचान क्रमांक	:	[15 boxes]

13. निराश्रित संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न : हाँ नहीं

(सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा सुखद सहारा योजना अन्तर्गत स्वीकृत हितग्राहियों के लिए)

*14. लिंग : पुरुष महिला

15. जन्मतिथि : [15 boxes]

*16. उम्र : [15 boxes] वर्ष/माह/दिन

17. वार्षिक आय : [15 boxes]

*18. वर्ग : अजा अजजा अपिव सामान्य

अल्पसंख्यक : हाँ नहीं

19. विधवा/परित्यक्त (चिन्ह लगाये) : हाँ नहीं

20. विकलांग : हाँ नहीं

21. निःशक्तता का प्रकार-I : [15 boxes]

22. निःशक्तता का प्रतिशत : [2 boxes]

23. निःशक्तता का प्रकार-II : [15 boxes]

24. निःशक्तता का प्रतिशत : [2 boxes]

25. मतदाता परिचय पत्र (इपिक) नम्बर : [15 boxes]

26. आधार कार्ड नम्बर : [15 boxes]

27. राशन कार्ड नम्बर : [15 boxes]

*28. भुगतान का तरीका : बैंक पो.आ. नगद म.आ.

बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम	<input type="text"/>
शाखा का नाम	<input type="text"/>
खाता क्रमांक	<input type="text"/>
आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड	<input type="text"/>
29. सत्यापन कर्ता	<input type="text"/>
30. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण	

क्र.	प्रपत्र	जारी दिनांक	जारीकर्ता
1.	आयु प्रमाण पत्र (सरपंच अथवा शहरी क्षेत्र की दशा में महापौर/प्रशासक/अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/जन्म पंजी/चिकित्सक का प्रमाणपत्र/स्कूल प्रमाणपत्र) (सभी पेंशन योजनाओं हेतु अनिवार्य)		
2.	निवास प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी अथवा सरपंच/पार्षद द्वारा जारी) (सभी पेंशन योजनाओं हेतु अनिवार्य)		
3.	निःशक्तता प्रमाण पत्र (निःशक्त व्यक्ति अधिनियम-1995 के प्रावधान अनुसार जारी प्रमाण पत्र) (सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं इंगारा निःशक्त पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		
4.	मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा हेतु) (संबंधित ग्राम/नगरीय निकाय के वार्ड पंच/पार्षद द्वारा प्रमाणित) (सुखद सहारा एवं इंगारा विधवा पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		
5.	पति द्वारा छोड़ जाने का प्रमाण पत्र (परित्यक्त हेतु) (संबंधित ग्राम/नगरीय निकाय के वार्ड पंच/पार्षद द्वारा प्रमाणित) (सुखद सहारा योजना हेतु अनिवार्य)		
6.	6-14 आयुवर्ग के निःशक्तजनों के लिए स्कूल जाने का प्रमाण पत्र (संबंधित स्कूल के प्राचार्य/प्रधान अध्यापक द्वारा जारी) (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		
7.	बैने हेतु प्रमाण पत्र (प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी) सामाजि क सुरक्षा पेंशन योजना हेतु अनिवार्य)		

—: घोषणा पत्र :—

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति
 निवासी सत्यनिष्ठा से यह
 घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर बताई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जावे तो शासन
 नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा।

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी)

31. आवेदन का परीक्षण : पात्र अपात्र

प्रारूप-1
(भाग-दो)

आयु प्रमाण-पत्र

(यह प्रमाण पत्र आवेदक के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के द्वारा दिया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूं कि (आवेदक का नाम वल्डियत सहित)
..... निवासी (वर्तमान पूर्ण पता सहित)
वृद्ध/विधवा/परित्यक्ता/निःशक्त है। आवेदक वयस्क है तथा निर्वाचक नामावली के आधार पर आवेदक की वर्तमान आयु वर्ष है/आवेदक अवयस्क है, तथा ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा संधारित जन्म पंजी या चिकित्सक के प्रमाण पत्र या स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक की वर्तमान आयु वर्ष है।

आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है।

स्थान

प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम एवं पदनाम सहित)

दिनांक

ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/
नगर पंचायत द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

प्रारूप-1
(भाग-तीन)

6 से 14 वर्ष की आयु निःशक्त शालेय छात्र के संबंध में प्रमाण-पत्र

(यह प्रमाण पत्र स्कूल के प्राचार्य/प्रधान अध्यापक द्वारा प्रदान किया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूं कि (आवेदक का नाम वलिद्यत सहित)

..... पिता का नाम

की शालेय रिकार्ड के आधार पर जन्म तिथि है एवं आयु वर्ष

है तथा आवेदक (स्कूल का नाम) की कक्षा

का नियमित छात्र है।

स्थान

प्राचार्य/प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर

दिनांक

(नाम एवं पद मुद्रा सहित)

प्रारूप-1
(भाग-चार)

परित्यक्ता महिला होने पर प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र आवेदक के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने की स्थिति में ग्राम के संबंधित वार्ड के पंच तथा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत के संबंधित क्षेत्र में पार्षद द्वारा किया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता / करती हूं कि (आवेदक का नाम)

पिता का नाम निवासी (वर्तमान पूर्ण पता सहित)

..... पति द्वारा

इन्हें दिनांक से परित्याग किया गया है। श्रीमती

अब परित्यक्ता के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही है।

स्थान

पंच/पार्षद

दिनांक

ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत

जिला (छत्तीसगढ़)

प्रारूप-तीन

आवेदक को सूचना

..... जिला छत्तीसगढ़

क्रमांक

श्री / श्रीमती / कुमारी पुत्र / पुत्री / पत्नी

निवासी ग्राम / नगर तहसील / विकासखण्ड को

जनपद पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत की बैठक दिनांक में लिये

निर्णय अनुसार माह वर्ष से एतद् द्वारा सामाजिक सहयता कार्यक्रम के

अंतर्गत संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन / इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन / इंदिरा गांधी राष्ट्रीय

निःशक्त पेंशन योजना / सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना / सुखद सहारा योजना अंतर्गत राशि रूपये

प्रतिमाह के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

या

पेंशन की पात्रता न होने से आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

पेंशन अस्वीकृति के कारण

हस्ताक्षर

(जनपद पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका /
नगर पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी)

पृष्ठा. क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त / उप-संचालक, समाज कल्याण, जिला
2. आवेदक को सूचनार्थ।

हस्ताक्षर

(जनपद पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका /
नगर पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी)

कारण टीप के साथ :

सत्यापनकर्ता अधिकारी का टीप :

(हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम : सरपंच / सचिव / नगरीय निकाय के
अधिकारी / पार्षद

छटनीकर्ता का टीप :

(छटनीकर्ता का हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम : समाज शिक्षा संगठक / नगरीय निकाय के
अधिकारी / पार्षद

अनुमोदनकर्ता का टीप :

(अनुमोदनकर्ता का हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम : मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
ज.प. / नगरीय निकाय के अधिकारी

नोट :- * चिन्ह वाले स्थानों को भरा जाना आवश्यक है।

प्राप्त आवेदन - पत्र की अभिस्वीकृति

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन / इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन / इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना / सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना / सुखद सहाया योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु -

श्री / श्रीमती / कुमारी पता
..... का आवेदन पत्र आज दिनांक को नगर पंचायत / नगर
पालिका / नगर निगम / ग्राम पंचायत कार्यालय में प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
एवं नाम व पद मुद्रा

कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

पेंशन राशि :—

- (1) 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के हितग्राही को राशि रु. 350/-
- (2) 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हितग्राही को राशि रु. 650/-

पात्रता :—

1. आवेदक/आवेदिका का नाम बी.पी.एल. सर्वे सूची वर्ष 2007–08 में नाम दर्ज हो।
2. आवेदक/आवेदिका 60 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के हो।
3. आवेदक/आवेदिका निगम क्षेत्र का निवासी हो।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विवाह पेंशन योजना

पेंशन राशि :— राशि रु. 350/-

पात्रता :—

1. आवेदिका 40 से 79 वर्ष आयु वर्ग के विवाह हो।
2. आवेदिका अथवा आवेदिका के पति का नाम बी.पी.एल. सर्वे सूची वर्ष 2007–08 में नाम दर्ज हो।
3. आवेदिका निगम क्षेत्र का निवासी हो।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्ति पेंशन योजना

पेंशन राशि :— राशि रु. 350/-

पात्रता :—

1. आवेदक/आवेदिका 18 से 79 वर्ष आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुनिःशक्त हो। (निःशक्तता 80 प्रतिशत से अधिक हो)
2. आवेदिक/आवेदिका का नाम बी.पी.एल. सर्वे सूची वर्ष 2007–08 में नाम दर्ज हो।
3. आवेदिका निगम क्षेत्र का निवासी हो।

सुखाद सहारा पेंशन योजना

पेंशन राशि :— राशि रु. 350/-

पात्रता :—

1. आवेदिका 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग के विवाह/परित्यक्ता महिला हो।
2. आवेदिका अथवा आवेदिका के पति का नाम बी.पी.एल. सर्वे सूची वर्ष 2007–08 में नाम दर्ज हो।
3. आवेदिका निगम क्षेत्र का निवासी हो।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

(उक्त योजना वर्ष 2009 से राज्य शासन द्वारा बंद कर दिया गया है)

पेंशन राशि :— राशि रु. 350/-

पात्रता :—

1. आवेदक 6 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 80 प्रतिशत से अधिक निःशक्त व्यक्ति।
2. आवेदिका निगम क्षेत्र का निवासी हो।

आवश्यक दस्तावेज जो आवेदन के साथ संलग्न किये जाने हैं :—

1. मतदाता परिचय पत्र
2. आधार कार्ड
3. बी.पी.एल. राशन कार्ड की छायाप्रति।
4. बैंक पास बुक की फोटो कापी
5. आवेदक का दो फोटो
6. निर्धारित प्रारूप में वार्ड पार्श्वद से सत्यापित आवेदन पत्र।
7. मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (विवाह पेंशन हेतु)
8. 80 प्रतिशत से अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (निःशक्त पेंशन हेतु)
9. आवेदिका के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति अथवा तलाकनामा की छायाप्रति।(सुखाद सहारा पेंशन हेतु)